13/08/14 पत्रावली प्रार्थी श्रवणलाल द्वारा निरस्त बाकी के आवेदन पेश होने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी पक्ष ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है प्रार्थिनी पत्नी आगे चलाना नहीं चाहते है तथा विड्रा करना चाहता है। तथा विड्रा करने की अनुमति प्रदान करावे। प्रार्थी पक्ष की सहायक अभिभाषक श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत द्वारा की गई। अतः प्रार्थी पक्ष के निवेदन पर वाद पत्र विड्रा किये जाने की अनुमति दिये जाते है। जिसका वाद तकमील कार्यवाही लाजिमी दफ्तरी होकर नियम से कार्यवाही

Shekhawat
(एड. राजेन्द्रसिंह शेखावत)

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़